राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या–62/2018 दायर दिनांकः–13.06.2018

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. माधू पुत्र उदा, जाति जाट, निवासी पनेर, तहसील–रुपनगढ, जिला–अजमेर।

––––वादी

बनाम

1. सार्वजनिक निर्माण विभाग, किशनगढ जरिये सहायक अभियंता जिला–अजमेर।
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ, जिला–अजमेर, राजस्थान।

––––प्रतिवादीगण

राजस्व वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक–01.09.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की एकल कब्जे काश्त खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम पनेर में अवस्थित है। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खाता संख्या नया 254 के खसरा नम्बर 53 रकबा 03 बीघा 00 बिस्वा जिसमें हिस्सा जमाबंदी अनुसार संपूर्ण है। उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड अनुसार वादी के नाम कब्जे काश्त एवं संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। वादी की एकल खातेदारी की कृषि आराजी पर वादी मौके पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है तथा उक्त खसरा नम्बर की भूमि का राजस्व ट्रेस में तरमीम होने के बावजूद वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की कृषि भूमि में नींव सींव के संबंध में भविष्य में विवाद उत्पन्न ना हो तथा वादी की भूमि का किसी प्रकार से बलात्, अतिचार व काश्त कार्य में बाधा कारित नही करे। इसलिए वादी की ओर से उक्त खसरा नम्बर की भूमि की पत्थरगढी किये जाने के संबंध में धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम के तहत न्यायालय में पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है। प्रतिवादी संख्या 1 सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग किशनगढ जो वर्तमान में वादी की खातेदारी की भूमि में लगी नींव सींव, मेड, जाली के साथ छेड़–छाड़ कर बाधा कारित कर रहे है। इसलिए वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को जब तक वादी की खातेदारी भूमि पर पत्थरगढी नही हो जावे तब तक किसी प्रकार का अतिचार, कब्जा व बाधा कारित नही करने हेतु पाबंद करना चाहा गया है और पक्षकार बनाया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी संख्या 2 का सम्मन तामिलसुदा प्राप्त हुआ। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से जवाब पेश किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम पनेर की वर्तमान जमाबंदी में खसरा नम्बर 53 रकबा 3 बीघा वादी माधु पूत्र उदा जाति जाट सा0देह खातेदार के नाम रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से कोई जवाब पेश नही किया गया।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं वकील वादी की बहस पर मनन किया। चुंकि ग्राम पनेर के खसरा नम्बर 53 रकबा 3 बीघा का वादी खातेदार काश्तकार है। इस कारण वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम पनेर के खसरा नम्बर 53 रकबा 3 बीघा भूमि में लगी नींव, सींव, मेंड, जाली एवं हरे वृक्षों के साथ किसी प्रकार की छेड़–छाड़ नही करते हुए मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक–01.09.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.09.06 14:31:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ (अजमेर)